

Action Taken Report of State Pollution Control Board

Submitted with respect to

Hon'ble National Green Tribunal (NGT) Principal Bench,

New Delhi order dated 30.05.2019

In the Matter of

Original Application No.739 of 2018

Residents of Gram Panchayat,Varahiya

Vs.

State of M.P.

As per the order of Honourable National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi

Order dated 30.05.2019

Status of the recommendation laid down by Honourable National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi Order Dated 30.05.2019 are given below:

Recommendation 1

To impose financial penalty to the following units which were found non-compliant of the consent conditions/directions/illegal activities & operated units with inadequate pollution control measures during 19.12.2018 to 13.03.2019.

Status as on: Penalty submission details are given below for reference please.

#	Name of the stone crusher	Penalty imposed in Rupees (Rs.)	Penalty deposit details		
			Status	Demond Draft/ Cheqe no. & date	Amount (Rs.)
1.	M/s K C Aggregate, Reusa	7,75,000	Deposited	D.D. No 409359 Dated 21.06.2019 Allahabad Bank Maihar, Satna Annexure -1	7,75,000
2.	M/s Taaran Taran Stone Crusher, Reusa	7,75,000	Not Deposit	Yet Not Deposited	00
3.	M/s Star Minerals, Village Reusa	7,75,000	Not Deposit	Yet Not Deposited	00

4.	M/s Balaji Mineral SNS crusher Unit#2	4,00,000	Deposited	D.D. No. 006623 Dated 16.04.2019 Annexure -2	4,00,000
5.	M/s S N S Minerals Ltd Unit#3	8,00,000	Deposited	D.D. No. 006621 Dated No. 16.04.2019 Annexure -3	8,00,000
6.	M/s S N S Minerals Ltd Unit#4	3,00,000	Deposited	D.D. No. 006620 Dated No. 16.04.2019 Annexure -4	3,00,000
7.	M/s Piyush & company	7,75,000	Not Deposit	Yet Not Deposited	---
8.	M/s Navin Stone Crusher	7,75,000	Not Deposit	Yet Not Deposited	---
9.	M/s Neelam Stone crusher	10,50,000	Not Deposit	Yet Not Deposited	---
10.	M/s Jai Bajrang Stone Crusher	10,50,000	Not Deposit	Yet Not Deposited	---
11.	M/s Neha Stone Crusher	7,75,000	Not Deposit	Yet Not Deposited	---
12.	M/s VindhVasani Stone Crusher	10,50,000	Not Deposit	Yet Not Deposited	---
13.	M/s Sai Stone crusher	7,75,000	Not Deposit	Yet Not Deposited	---
14.	M/s Swami Neelkanth Crusher (1)	7,75,000	Not Deposit	Yet Not Deposited	---
15.	M/s Swami Neelkanth (2) GuruKripya	7,75,000	Not Deposit	Yet Not Deposited	---
16.	M/s Mahadev Infra	15,50,000	Deposited	DD 780619 Dated 10.04.2019 Annexure -5	15,50,000
17.	M/s L&T crusher, Sirmili	15,50,000	Deposited	Vide UTR No. CITIN19971367479 Dated 13.05.2019 City bank Mumbai Annexure -6	15,50,000

Recommendation No 2

To continue the suspension of mining lease & CTO for the following units till these units got shifted as per the siting guidelines.

M/s K C Aggregate, Village Reusa

M/s Taaran Taran Stone Crusher, Village Reusa &

M/s Star Minerals, Village Reusa

Status as on: Action has been taken against the above units as per order; details of the same are given below for reference please.

Sr. No.	Name of Stone crusher	Action taken by MPPCB	Action taken by Mining Department
1	M/s K C Aggregate, Village Reusa	<ul style="list-style-type: none">Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 455 dated 29.03.2019CTO has been Suspended vide letter no. 45 dated 08.04.2019	Mining Activities (Manufacturing of Gitti by Crusher) Suspended Vide Letter No. 802 On dated 08.03.2019, Letter No. 1532 dated 17.05.2019 & letter no. 1939 dated 27.06.2019 Annexure -7
2	M/s Star Minerals, Village Reusa	<ul style="list-style-type: none">Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 459 dated 29.03.2019CTO has been Suspended vide letter no. 47 dated 08.04.2019	Mining Activities (Manufacturing of Gitti by Crusher) Suspended Vide Letter No. 802 On dated 08.03.2019, letter no. 1535 dated 17.05.2019 & letter no. 1941 dated 27.06.2019 Annexure -8
3	M/s Taaran Taran Stone Crusher, Village Reusa &	<ul style="list-style-type: none">Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 457 dated 29.03.2019CTO has been Suspended vide letter no. 81 dated 09.04.2019	Mining Activities (Manufacturing of Gitti by Crusher) Suspended Vide Letter No. 802 On dated 08.03.2019, letter no 1534 dated 17.05.2019 letter no. 1940 dated 27.06.2019 Annexure -9

Recommendation No 3:

To impose suspension of mining lease & CTO of the following units for which no mining record data found related to Quantity received & dispatched for the period 19.12.2018 to 13.03.2019 and reply to show cause notice issued date 26.12.2019 was also not submitted.

Status as on: Action has been taken against above for suspension of consent to operate, details are given below for reference please:

#	Name of Industry	Action taken by MPPCB	Action taken by Mining Department
1.	M/s Neelam Stone crusher Village Reusa	<ul style="list-style-type: none">• Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 471 dated 29.03.2019• CTO Suspended vide letter No. 43 dated 08.04.2019	Mining Activities in Query area and gitti manufacturing by crusher & transportation of gitti suspended through online transit passes has been blocked Vide Letter No. 1536 dated 17.05.2019 & letter no. 1942 dated 27.06.2019. Annexure -10
2.	M/s Jai Bajrang Stone Crusher Tilaura, Satna	<ul style="list-style-type: none">• Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 473 dated 29.03.2019• CTO Suspended vide letter No. 41 dated 08.04.2019	Mining Activities in Query area and gitti manufacturing by crusher & transportation of gitti suspended through online transit passes has been blocked Vide Letter No. 1537 dated 17.05.2019 & letter no. 1938 dated 27.06.2019. Annexure -11
3.	M/s Vindhya Vashni Stone Crusher Bathida village	<ul style="list-style-type: none">• Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 477 dated 29.03.2019.• CTO Suspended vide letter No. 39 dated 08.04.2019• Applicant Submitted appeal, rejection Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 775 dated 17.06.2019	Mining Activities in Query area and gitti manufacturing by crusher & transportation of gitti suspended through online transit passes has been blocked Vide Letter No. 1533 dated 17.05.2019 & letter no. 1942 dated 27.06.2019. Annexure -12

Recommendation No 4:

To grant 45 days time to the following units who have submitted their reply against the show cause notice issued on 26.12.2018 for the ongoing implementation of the dust containment & suppression system or demobilizing the machineries. Later on the due date based on the compliance verification report action related to mining lease & CTO suspension can be initiated.

Status as on: Action taken against following units who have not implemented the above recommendation, details are given below

Sr. No.	Name of Industry	Action taken by MPPCB	Action taken by Mining Department	Compliance Status
1.	M/s Balaji Minerals stone crusher, Village Reusa (SNS-2)	<ul style="list-style-type: none">Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 461 dated 29.03.2019	D.D. No. 006623 Dated 16.04.2019 Annexure -2	Penalty deposited & Complied
2.	M/s S N S Minerals Ltd Village, Reusa Satna (SNS-3)	<ul style="list-style-type: none">Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 463 dated 29.03.2019	D.D. No. 006621 Dated No. 16.04.2019 Annexure -3	Penalty deposited & Complied
3.	M/s Mahadev Infra Satna	<ul style="list-style-type: none">Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 485 dated 29.03.2019	DD 780619 Dated 10.04.2019 Annexure -5	Penalty deposited & Complied
4.	M/s S N S Minerals Ltd, Village Reusa Satna (SNS-4)	<ul style="list-style-type: none">Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 465 dated 29.03.2019	D.D. No. 006620 Dated No. 16.04.2019 Annexure -4	Penalty deposited & Complied

5.	M/s Piyush & company Village, Reusa Satna	<ul style="list-style-type: none"> • Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 467 dated 29.03.2019 • Applicant Submitted appeal, rejection Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 777 dated 17.06.2019 • CTO suspended vide letter no 569 dated 22.06.2019 	Mining Activities in Query area and gitti manufacturing by crusher & transportation of gitti suspended through online transit passes has been blocked Vide Letter No. 1931 dated 27.06.2019. Annexure - 13	Not complied
6.	M/s Navin Stone Crusher, Village Reusa Satna	<ul style="list-style-type: none"> • Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 469 dated 29.03.2019 • Applicant Submitted appeal, rejection Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 769 dated 17.06.2019 • CTO suspended vide letter no 567 dated 22.06.2019 	Mining Activities in Query area and gitti manufacturing by crusher & transportation of gitti suspended through online transit passes has been blocked Vide Letter No. 1932 dated 27.06.2019. Annexure - 14	Not complied
7.	M/s Neha Stone Crusher, village Bheda	<ul style="list-style-type: none"> • Letter issued regarding Imposition of penalty dated 29.03.2019 • Applicant Submitted appeal, rejection Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 773 dated 17.06.2019 • CTO suspended vide letter no 565 dated 22.06.2019 	Mining Activities in Query area and gitti manufacturing by crusher & transportation of gitti suspended through online transit passes has been blocked Vide Letter No. 1933 dated 27.06.2019. Annexure -15	Not complied

8.	M/s Sai Stone crusher, Bathida Village	<ul style="list-style-type: none"> • Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 479 dated 29.03.2019 • Applicant Submitted appeal, rejection Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 767 dated 17.06.2019 • CTO suspended vide letter no 563 dated 22.06.2019 	Mining Activities in Query area and gitti manufacturing by crusher & transportation of gitti suspended through online transit passes has been blocked Vide Letter No. 1934 dated 27.06.2019. Annexure - 16	Not complied
9.	M/s Swami Neelkanth Crusher, (1) Bathida Village	<ul style="list-style-type: none"> • Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 481 dated 29.03.2019 • CTO suspended vide letter no 561 dated 22.06.2019 • Applicant Submitted appeal, rejection Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 771 dated 17.06.2019 	Mining Activities in Query area and gitti manufacturing by crusher & transportation of gitti suspended through online transit passes has been blocked Vide Letter No. 1936 dated 27.06.2019. Annexure - 17	Not complied
10.	M/s Swami Neelkanth GuruKripya, (2) Bathida Village	<ul style="list-style-type: none"> • Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 483 dated 29.03.2019 • Applicant Submitted appeal, rejection Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 779 dated 17.06.2019 • CTO suspended vide letter no 559 dated 22.06.2019 	Mining Activities in Query area and gitti manufacturing by crusher & transportation of gitti suspended through online transit passes has been blocked Vide Letter No. 1935 dated 27.06.2019. Annexure - 18	Not complied

11.	M/s L&T crusher Sirmili – demobilizing the plant	<ul style="list-style-type: none">Letter issued regarding Imposition of penalty Vide letter no. 487 dated 29.03.2019	-	Penalty deposited, Complied and closed the plant. being shifted
-----	--	--	---	---



Dr. A.K. Shrivastava
Regional Officer
M.P. Pollution Control Board
Satna (M.P.)

M/S. KAY CEE AGGREGATES

(Manufacturer & Supplier
of Stone Aggregate)

Registered with Khadi Gram Udyog

Ref

Date

Annexure-1

To,

The Member Secretary
M.P. Pollution Control Board
Paryavaran Parisar E-5 Area
Colony Bhopal-16Bhopal

Subject: - Depositing penalty amount against recovery of compensation policy framed by CPCB.

Reference: - Your letter number 455/TECH/MPPCB/2019 Bhopal dated 29/03/2019.


Sir,

Whereas, NGT in its order dated 21/02/2019 has ordered to recovery of compensation assessed by joint committee Rs. 7,775,000/- as per ordered by your office.

I here by depositing Rs. 7,75,000/- (Seven Lacks Seventy Five Thousand Only) by demand draft no. 409359 dated 21/06/2019 issued by Allahabad Bank Branch Maihar Distt. Satna (M.P.).

Plz acknowledge the above demand draft submitting in your office.

Thanking you!




Your Faithfully
Pradeep Jordar

Prop. M/s KAY CEE AGGREGATES
Village Reusa Km 12, N.H.7,
Tehsil- Maihar, Distt. Satna (M.P.)

HDFC BANK

A/C PAYEE ONLY
NOT NEGOTIABLE

DEMAND DRAFT
VALID FOR 3 MONTHS ONLY
PAYABLE AT PAR AT ALL BRANCHES OF HDFC BANK LTD

1 6 0 4 2 0 1 9
D D M M Y Y Y Y

ON DEMAND PAY

MEMBER SECRETARY MPPCB BHOPAL

Annexure-2

Or Order

अदा कर

Rupees

FOUR LAKH ONLY.

रुपये

₹ *4,00,000.00

FOR VALUE RECEIVED

BALAJI MINERALS AND STONE CO PVT LTD

MAIHAR

MAIHAR - 485771

REF. No. 202913006239

[Handwritten Signature]
9996
AUTHORISED SIGNATURE
[Handwritten Signature]

⑈006623⑈ 485240501: 999990⑈ 16

Annexure-3

HDFC BANK

A/C PAYEE ONLY
NOT NEGOTIABLE

DEMAND DRAFT

VALID FOR 3 MONTHS ONLY

PAYABLE AT PAR AT ALL BRANCHES OF HDFC BANK LTD

1 6 0 4 2 0 1 9
D D M M Y Y Y Y

***** MEMBER SECRETARY MPPCB BHOPAL *****

ON DEMAND PAY

Or Order

अदा करे

या उनके आदेश पर

HRUDAYSH ONLY

राशि

*8,00,000.00

S N S MINERALS LTD

FOR VALUE RECEIVED

MAIHAR

MAIHAR - 485771

REF. No. 202913006234

AUTHORISED SIGNATORIES

Please sign above

⑈006621⑈ 485240501⑈ 999990⑈ 16

Annexure-4

HDFC BANK

A/C PAYEE ONLY
NOT NEGOTIABLE

DEMAND DRAFT

VALID FOR 3 MONTHS ONLY

PAYABLE AT PAR AT ALL BRANCHES OF HDFC BANK LTD

1 6 0 4 2 0 1 9
D D M M Y Y Y Y

MEMBER SECRETARY MPPCB BHOPAL
DEMAND PAY

रा. करे
Bhopal
रुपये

Or Order
या उनके आदेश पर

*3,00,000.00

S N S MINERALS LTD

FOR VALUE RECEIVED

MAIHAR
MAIHAR - 485771

[Signature]
9996

[Signature]
12/10/19

REF. No. 202913006233

AUTHORISED SIGNATORIES
Please sign above

⑈006620⑈ 485240501⑈ 999990⑈ 16



GSTIN:23BIFM7645L1ZU

MAHADEV INFRA

PAN.NO.ABIFM7645L

Supplier of crushed Stones

Ref.

Date: 11/04/2019

प्रति



सदस्य सचिव महोदय
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल

विषय:- एन.जी.टी के द्वारा लागर्ट पेनाल्टी का
पुनर्गान और वाकफ।

संदर्भ, आपका पत्र क्रमांक 485 दिनांक 29/3/19

महोदय,

उपरोक्त विषयसंबंधित - संदर्भित पत्र
के परिपेक्षा में एन.जी.टी के द्वारा
लागर्ट गर्ट पेनाल्टी रुपये 15,50,000/-
दिनांक 10/04/2019 डी.डी. क्रमांक 780619 जमा
किया जा रहा है। कृपया उक्त की रकम प्रदान
किए जाने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि:- सचिव के विभागीय क्र.प.प.आ/वा
सतना

महोदय

M. N. Tiwari
Pr. keep in file
for submission at mahadev infra toho.
BT4/15

For-MAHADEV INFRA

D. S. Jaiswal
Partner

जारी करने वाला भारतीय स्टेट बैंक
Issuing Branch MAHAR (CHANDIGARH)
कोड नं / CODE No. 00417
Tel No. 07674-233166

माहदेव माहदेव
DEMAND DRAFT

Key: SIGCIR Sr. No: 613628

10042019
D D M M Y Y Y Y

या उनके आदेश पर
OR ORDER

मामे जानेपर MEMBER SECRETARY MPPCB BHOPAL

ON DEMAND PAY

रुपये RUPEES Ffteen Lakh Fifty Thousand Only

अदा करे ₹ 1550000.00

101 000422780619 Key: SIGCIR Sr. No: 613628
Name of Applicant MAHADEV INFRA AMOUNT BELOW 1550001(1/7) मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकारी शाखा / DRAWEE BRANCH BHOPAL MAIN BRANCH
कोड नं / CODE No. 01308

प्रतिष्ठित हस्ताक्षरकर्ता
K.P. SAH
शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

DEMAND DRAFT
M-10255
K.P. SAH By Manager
PF: 3732/11. S-1643

780619 0000020001 000422 16



Larsen & Toubro Limited
L&T Construction
Transportation Infrastructure

Ref: L&T/RKJRP/All Pkg/2019-20/Other/070

Date: 14th May' 19

To,
Madhya Pradesh Pollution Control Board,
Paryavaran Parisar E-5,
Arera Colony,
Bhopal - 16

Sub : Environmental Compensation - Payment - Reg.

Ref : 1. Letter no. 487/Tech./MPPCB/2019 dated 29.03.2019

Dear Sir,

With reference to the above subject and your letter cited at ref. (1) above, we would like to inform that the compensation amount of Rs. 15,50,000 (**Rupees Fifteen Lakhs Fifty Thousand only**) has been deposited in favour of Member Secretary, MPPCB, Bhopal vide UTR No. CITIN19971367479 dated 13.05.2019.

This is for your kind information and record please.

Thanking you.

Yours sincerely,

For Larsen & Toubro Limited

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jeeva David J'.

Mr. Jeeva David J
(Authorized Signatory)
Rewa Katni Jabalpur Lakhnaton Project





PB No 979, Mount-Poonamallee Road, Manapakkam, Chennai - 600089, Tamilnadu, India

FAS

Bank Payment Booking - LE/LE150304/BPB/19/INR/0000089 - Dt. 23 Apr 2019

Accounting Centre : LE150304 - Rewa Kabni Jabalpur (Package 01)

Paid To : MEMBER SECRETARY, MPPCB, BHOPAL

Currency Rate Type : Monthly

Voucher Description : BEING AMOUNT PAID AGAINST DAMAGE CAUSED BY SOME CRUSHER UNIT, AS PER THE ENVTL COMPENSATION POLICY FRAMED BY CPCB REFERENCE NO-487/Tech/MPPCB/2019 DATED ON 29-03-19

Currency Rate : 1.00

Voucher Details

Voucher Amount : 1550000.00

Values In : Indian rupee

Vr Sl No	Ledger Job	Account	Amount	Narration	Employee	Vendor
1	LE15D142 - Dept Code- Quarry Crusher Ch 289-1 TI IC (-do-)	00080246 - OTHER RATES & TAXES-PROJECT RELATED (-do-)	1550000.00	BEING AMOUNT PAID AGAINST DAMAGE CAUSED BY SOME CRUSHER UNIT, AS PER THE ENVTL COMPENSATION POLICY FRAMED BY CPCB REFERENCE NO- 487/Tech/MPPCB/2019 DATED ON 29-03-19 - OTHER RATES & TAXES- PROJECT RELATED		
Total :			1550000.00 (Indian rupee Fifteen Lakh, Fifty Thousand and Zero Paise Only)			

Bank Details

Sl. No	Bank	Bank AC	Payable Mode	Payee Account No	Drawee Bank	Cheque No	Cheque Date	Currency	Paid Amount	Received Amount
1	CITI BANK - MUMBAI / RREC / IC	Transportation Infrastructure	NEFT	6310001200000043		CITIN199713674 79	13 May 2019	Indian rupee	1550000.00	0.00
Total :									1550000.00	0.00

Created By

Passed By

Authorized By

Received By

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सतना, (म.प्र.)

modemsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक B02/खनिज/2019

सतना, दिनांक 08/03/2019

प्रति,

क्षेत्रीय प्रमुख,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, जिला सतना, म.प्र.

विषय:- स्टोन क्रेशर को बंद करने के संबंध में।

- संदर्भ:-**
1. आपका पत्र क्रमांक 1548 दिनांक 26.12.2018।
 2. आपका पत्र क्रमांक 2215 दिनांक 06.02.2019।

—0—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार मेसर्स के.सी. एभीमेंट्स, मेसर्स स्टार मिनरल्स, मेसर्स तारण तरण स्टोन क्रेशर, मेसर्स एस.एन.एस. (मिनरल्स) तथा मेसर्स सुभाष कन्स्ट्रक्शन्स सभी ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर, जिला सतना में गिट्टी निर्माण कार्य पूर्णरूपेण बंद कराया करा दिया गया है।

जानकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



खनि अधिकारी,

जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1532/ खनिज / 2019

सतना दिनांक 17/05/19

प्रति,

एग्जीक्यूटिव
मेसर्स के.सी. स्टोन क्रेशर,
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा गठित टीम द्वारा किये गये निरीक्षण व अनुशंसा अनुसार उद्योग की उत्पादन सम्मति निरस्त करने बावत्।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना का पत्र पृष्ठां क्रमांक 44 दिनांक 08.04.2019।

—0—

विषयांतर्गत क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना का पत्र पृष्ठां क्रमांक 44 दिनांक 08.04.2019 अनुसार आपके उद्योग को प्राप्त उत्पादन सम्मति निरस्त कर दी गई है तथा खनिज विभाग को उक्त स्टोन क्रेशर यूनिट से सम्बद्ध खदान के संचालन हेतु प्रदत्त की जा रही समस्त सुविधाएं जिनके अंतर्गत पिटपास इत्यादि तत्काल प्रभाव से बंद करने हेतु लेख किया गया है।

अतः आपके उद्योग के संचालन का कार्य बंद किया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना से उत्पादन सम्मति प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही आपके उद्योग का संचालन कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।



खनि अधिकारी,
जिला सतना, (म.प्र.)

सतना दिनांक 17/05/19


पृष्ठां क्रमांक 1534/ खनिज / 2019

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।



खनि अधिकारी,
जिला सतना, (म.प्र.)



Annexure-7

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1939/खनिज/2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

मेसर्स के.सी. एग्रीगेट्स,
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.

विषय:— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1532 दिनांक 17.05.2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत, आपको ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर, जिला सतना के खसरा क्रमांक 53, रकबा 0.418 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर, गिट्टी एवं डस्ट हेतु खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश क्रमांक 3737 दिनांक 29/09/2018 से स्वीकृत है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के बिन्दु क्रमांक-2 अनुसार "To Continue the suspension of mining lease & CTO for the following units got shifted as per the siting guidelines."

अतः आप माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में कार्यवाही कर इस कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना को सूचित करें, तब तक की स्थिति में आपकी ई-टीपी को बंद रखा जाएगा एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेश का पालन न करने की स्थिति में आपको स्वीकृत खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति को निरस्तगी की कार्यवाही की जाएगी।


उपसंचालक,

(खनिज प्रशासन)

जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1939/खनिज/2019

प्रतिलिपि :-

सतना दिनांक 27/06/2019

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।


उपसंचालक,

(खनिज प्रशासन)

जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सतना, (म.प्र.)

modemsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक B02/खनिज/2019

सतना, दिनांक 08/03/2019

प्रति,

क्षेत्रीय प्रमुख,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, जिला सतना, म.प्र.

विषय:- स्टोन क्रेशर को बंद करने के संबंध में।

- संदर्भ:-**
1. आपका पत्र क्रमांक 1548 दिनांक 26.12.2018।
 2. आपका पत्र क्रमांक 2215 दिनांक 06.02.2019।

—0—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार मेसर्स के.सी. एभीमेंट्स, मेसर्स स्टार मिनरल्स, मेसर्स तारण तरण स्टोन क्रेशर, मेसर्स एस.एन.एस. (मिनरल्स) तथा मेसर्स सुभाष कन्स्ट्रक्शन्स सभी ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर, जिला सतना में गिट्टी निर्माण कार्य पूर्णरूपेण बंद कराया करा दिया गया है।

जानकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


खनि अधिकारी,

जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, सतना म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 560, 562, 564, 566, 568 एवं 570 दिनांक 22/06/2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन में, जिन उद्योगों को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्पादन सम्मति निलंबित कर दी गई है, उन उद्योगों (खनिज भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी) को स्वीकृत उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद कर दिया गया है। जारी किये गये पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।
3. खनि निरीक्षक, जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।

उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1535/खनिज/2019

सतना दिनांक 17/05/19

प्रति,

मेसर्स स्टार मिनरल्स (स्टोन क्रेशर),
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा गठित टीम द्वारा किये गये निरीक्षण व अनुशंसा अनुसार उद्योग की उत्पादन सम्मति निरस्त करने बावत्।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना का पत्र पृष्ठां. क्रमांक 44 दिनांक 08.04.2019।

—0—

विषयांतर्गत क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना का पत्र पृष्ठां. क्रमांक 44 दिनांक 08.04.2019 अनुसार आपके उद्योग को प्राप्त उत्पादन सम्मति निरस्त कर दी गई है तथा खनिज विभाग को उक्त स्टोन क्रेशर यूनिट से सम्बद्ध खदान के संचालन हेतु प्रदत्त की जा रही समस्त सुविधाएं जिनके अंतर्गत पिटपास इत्यादि तत्काल प्रभाव से बंद करने हेतु लेख किया गया है।

अतः आपके उद्योग के संचालन का कार्य बंद किया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना से उत्पादन सम्मति प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही आपके उद्योग का संचालन कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।


खनि अधिकारी,
जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1535/खनिज/2019

सतना दिनांक 17/05/19

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।


खनि अधिकारी,
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म०प्र०)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1941/खनिज/2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

मेसर्स स्टार मिनरल्स (स्टोन क्रेशर),
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.

विषय:— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1535 दिनांक 17.05.2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत, आपको ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर, जिला सतना के खसरा क्रमांक 45/2/1 रकबा 0.091 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर, गिट्टी एवं डस्ट हेतु खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश क्रमांक 504 दिनांक 08/02/2018 से स्वीकृत है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के बिन्दु क्रमांक-2 अनुसार "To Continue the suspension of mining lease & CTO for the following units got shifted as per the siting guidelines."

अतः आप माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में कार्यवाही कर इस कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना को सूचित करें, तब तक की स्थिति में आपकी उत्खनिपट्टा तथा खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद रखा जाएगा एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेश का पालन न करने की स्थिति में आपकी स्वीकृत खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति को निरस्तगी की कार्यवाही की जाएगी।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

सतना दिनांक 27/06/2019

पृष्ठां. क्रमांक 1941/खनिज/2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सतना, (म.प्र.)

modemsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक B02/खनिज/2019

सतना, दिनांक 08/03/2019

प्रति,

क्षेत्रीय प्रमुख,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, जिला सतना, म.प्र.

विषय:- स्टोन क्रेशर को बंद करने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक 1548 दिनांक 26.12.2018।

2. आपका पत्र क्रमांक 2215 दिनांक 06.02.2019।

—0—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार मेसर्स के.सी. एभीमेंट्स, मेसर्स स्टार मिनरल्स, मेसर्स तारण तरण स्टोन क्रेशर, मेसर्स एस.एन.एस. (मिनरल्स) तथा मेसर्स सुभाष कन्स्ट्रक्शन्स सभी ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर, जिला सतना में गिट्टी निर्माण कार्य पूर्णरूपेण बंद कराया करा दिया गया है।

जानकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


खनि अधिकारी,

जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, सतना म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 560, 562, 564, 566, 568 एवं 570 दिनांक 22/06/2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन में, जिन उद्योगों को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्पादन सम्मति निलंबित कर दी गई है, उन उद्योगों (खनिज भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी) को स्वीकृत उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद कर दिया गया है। जारी किये गये पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।
3. खनि निरीक्षक, जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1534/खनिज/2019

सतना दिनांक 17/05/19

प्रति,

मेसर्स तारण तरण स्टोन क्रेशर,
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा गठित टीम द्वारा किये गये निरीक्षण व अनुशंसा अनुसार उद्योग की उत्पादन सम्मति निरस्त करने बावत्।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना का पत्र पृष्ठां. क्रमांक 44 दिनांक 08.04.2019।

—0—

विषयांतर्गत क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना का पत्र पृष्ठां. क्रमांक 44 दिनांक 08.04.2019 अनुसार आपके उद्योग को प्राप्त उत्पादन सम्मति निरस्त कर दी गई है तथा खनिज विभाग को उक्त स्टोन क्रेशर यूनिट से सम्बद्ध खदान के संचालन हेतु प्रदत्त की जा रही समस्त सुविधाएं जिनके अंतर्गत पिटपास इत्यादि तत्काल प्रभाव से बंद करने हेतु लेख किया गया है।

अतः आपके उद्योग के संचालन का कार्य बंद किया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना से उत्पादन सम्मति प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही आपके उद्योग का संचालन कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।


खनि अधिकारी,
जिला सतना, (म.प्र.)

सतना दिनांक 17/05/19

पृष्ठां. क्रमांक 1534/खनिज/2019

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।


खनि अधिकारी,
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1940 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

मेसर्स तारण तरण स्टोन क्रेशर,
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1534 दिनांक 17.05.2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत, आपको ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर, जिला सतना के खसरा क्रमांक 91, 92 रकबा 1.286 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर, गिट्टी एवं डस्ट हेतु खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश क्रमांक 717 दिनांक 06/03/2019 से स्वीकृत है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के बिन्दु क्रमांक-2 अनुसार "To Continue the suspension of mining lease & CTO for the following units got shifted as per the siting guidelines."

अतः आप माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में कार्यवाही कर इस कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना को सूचित करें, तब तक की स्थिति में आपकी उत्खननपट्टा तथा खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद रखा जाएगा एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेश का पालन न करने की स्थिति में आपको स्वीकृत खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति को निरस्तगी की कार्यवाही की जाएगी।


उपसंचालक,

(खनिज प्रशासन)

जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1940 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।


उपसंचालक,

(खनिज प्रशासन)

जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, सतना म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 560, 562, 564, 566, 568 एवं 570 दिनांक 22/06/2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन में, जिन उद्योगों को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्पादन सम्मति निलंबित कर दी गई है, उन उद्योगों (खनिज भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी) को स्वीकृत उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद कर दिया गया है। जारी किये गये पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।
3. खनि निरीक्षक, जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1536/खनिज/2019

सतना दिनांक 7/05/19

प्रति,

मेसर्स नीलम स्टोन क्रेशर,
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा गठित टीम द्वारा किये गये निरीक्षण व अनुशंसा अनुसार उद्योग की उत्पादन सम्मति निरस्त करने बावत्।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना का पत्र पृष्ठां. क्रमांक 44 दिनांक 08.04.2019।

—0—

विषयांतर्गत क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना का पत्र पृष्ठां. क्रमांक 44 दिनांक 08.04.2019 अनुसार आपके उद्योग को प्राप्त उत्पादन सम्मति निरस्त कर दी गई है तथा खनिज विभाग को उक्त स्टोन क्रेशर यूनिट से सम्बद्ध खदान के संचालन हेतु प्रदत्त की जा रही समस्त सुविधाएं जिनके अंतर्गत पिटपास इत्यादि तत्काल प्रभाव से बंद करने हेतु लेख किया गया है।

अतः आपके उद्योग के संचालन का कार्य बंद किया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना से उत्पादन सम्मति प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही आपके उद्योग का संचालन कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।


खनि अधिकारी,
जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1536/खनिज/2019

सतना दिनांक 7/05/19

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।


खनि अधिकारी,
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1942 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

मेसर्स नीलम स्टोन क्रेशर,
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1536 दिनांक 17.05.2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत, आपको ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर, जिला सतना के खसरा क्रमांक 91, 92 रकबा 1.286 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर, गिट्टी एवं डस्ट हेतु खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश क्रमांक 717 दिनांक 06/03/2019 से स्वीकृत है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के बिन्दु क्रमांक-3 अनुसार "To impose suspension of mining lease & CTO of the following units for which no mining record data found related to quantity received & dispatched for the period 19.12.2018 to 13.03.2019 and reply to show cause notice issued date 26.12.2018 was not submitted."

अतः आप माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में कार्यवाही कर इस कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना को सूचित करें, तब तक की स्थिति में आपकी ई-टीपी को बंद रखा जाएगा एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेश का पालन न करने की स्थिति में आपको स्वीकृत खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति को निरस्तगी की कार्यवाही की जाएगी।


उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1942 / खनिज / 2019
प्रतिलिपि :-

सतना दिनांक 27/06/2019

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।


उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1537/खनिज/2019

सतना दिनांक 17/05/19

प्रति,

मेसर्स जय बजरंग स्टोन क्रेशर,
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.


विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा गठित टीम द्वारा किये गये निरीक्षण व अनुशंसा अनुसार उद्योग की उत्पादन सम्मति निरस्त करने बावत्।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना का पत्र पृष्ठां. क्रमांक 44 दिनांक 08.04.2019।

—0—

विषयांतर्गत क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना का पत्र पृष्ठां. क्रमांक 44 दिनांक 08.04.2019 अनुसार आपके उद्योग को प्राप्त उत्पादन सम्मति निरस्त कर दी गई है तथा खनिज विभाग को उक्त स्टोन क्रेशर यूनिट से सम्बद्ध खदान के संचालन हेतु प्रदत्त की जा रही समस्त सुविधाएं जिनके अंतर्गत पिटपास इत्यादि तत्काल प्रभाव से बंद करने हेतु लेख किया गया है।

अतः आपके उद्योग के संचालन का कार्य बंद किया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना से उत्पादन सम्मति प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही आपके उद्योग का संचालन कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।


खनि अधिकारी,
जिला सतना, (म.प्र.)

सतना दिनांक 17/05/19

पृष्ठां. क्रमांक 1537/खनिज/2019

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।


खनि अधिकारी,
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, सतना म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 560, 562, 564, 566, 568 एवं 570 दिनांक 22/06/2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन में, जिन उद्योगों को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्पादन सम्मति निलंबित कर दी गई है, उन उद्योगों (खनिज भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी) को स्वीकृत उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद कर दिया गया है। जारी किये गये पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।
3. खनि निरीक्षक, जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।

उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1938 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

मेसर्स जय बजरंग स्टोन क्रेशर,
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.


विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1537 दिनांक 17.05.2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत, आपको ग्राम तिलौरा, तहसील मैहर, जिला सतना के खसरा क्रमांक 69 रकबा 0.303 हे. क्षेत्र पर खनिज बोल्डर, गिट्टी एवं डस्ट हेतु खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश क्रमांक 786 दिनांक 08/03/2019 से स्वीकृत है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के बिन्दु क्रमांक-3 अनुसार "To impose suspension of mining lease & CTO of the following units for which no mining record data found related to quantity received & dispatched for the period 19.12.2018 to 13.03.2019 and reply to show cause notice issued date 26.12.2018 was not submitted."

अतः आप माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में कार्यवाही कर इस कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना को सूचित करें, तब तक की स्थिति में आपकी ई-टीपी को बंद रखा जाएगा एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेश का पालन न करने की स्थिति में आपको स्वीकृत खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति को निरस्तगी की कार्यवाही की जाएगी।


उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

सतना दिनांक 27/06/2019

पृष्ठां. क्रमांक 1938 / खनिज / 2019
प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।


उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, सतना म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 560, 562, 564, 566, 568 एवं 570 दिनांक 22/06/2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन में, जिन उद्योगों को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्पादन सम्मति निलंबित कर दी गई है, उन उद्योगों (खनिज भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी) को स्वीकृत उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद कर दिया गया है। जारी किये गये पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।
3. खनि निरीक्षक, जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।

उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1533/खनिज/2019

सतना दिनांक 17/05/19

प्रति,

मेसर्स विन्ध्य वासिनी स्टोन क्रेशर,
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा गठित टीम द्वारा किये गये निरीक्षण व अनुशंसा अनुसार उद्योग की उत्पादन सम्मति निरस्त करने बावत्।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना का पत्र पृष्ठां. क्रमांक 44 दिनांक 08.04.2019।

—0—

विषयांतर्गत क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना का पत्र पृष्ठां. क्रमांक 44 दिनांक 08.04.2019 अनुसार आपके उद्योग को प्राप्त उत्पादन सम्मति निरस्त कर दी गई है तथा खनिज विभाग को उक्त स्टोन क्रेशर यूनिट से सम्बद्ध खदान के संचालन हेतु प्रदत्त की जा रही समस्त सुविधाएं जिनके अंतर्गत पिटपास इत्यादि तत्काल प्रभाव से बंद करने हेतु लेख किया गया है।

अतः आपके उद्योग के संचालन का कार्य बंद किया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना से उत्पादन सम्मति प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही आपके उद्योग का संचालन कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।


खनि अधिकारी,
जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1533/खनिज/2019

सतना दिनांक 17/05/19

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।


खनि अधिकारी,
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

पत्र क्रमांक 1942 / खनिज / 2019

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

मेसर्स विन्ध्य वासिनी स्टोन क्रेशर,
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1533 दिनांक 17.05.2019।

--0--

संदर्भित विषयांतर्गत, आपको ग्राम बढिया, तहसील मैहर, जिला सतना के खसरा क्रमांक 739/1 रकबा 0.217 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर, गिट्टी एवं डस्ट हेतु खनिज व्यापारी अनुज्ञापति आदेश क्रमांक 1100 दिनांक 14/06/2013 से स्वीकृत है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के बिन्दु क्रमांक-3 अनुसार "To impose suspension of mining lease & CTO of the following units for which no mining record data found related to quantity received & dispatched for the period 19.12.2018 to 13.03.2019 and reply to show cause notice issued date 26.12.2018 was not submitted."

अतः आप माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में कार्यवाही कर इस कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना को सूचित करें, तब तक की स्थिति में आपकी ई-टीपी को बंद रखा जाएगा एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेश का पालन न करने की स्थिति में आपको स्वीकृत खनिज भण्डारण अनुज्ञापति को निरस्तगी की कार्यवाही की जाएगी।



उपसंचालक,

(खनिज प्रशासन)

जिला सतना, (म.प्र.)

सतना दिनांक

27/06/2019

पृष्ठां. क्रमांक
प्रतिलिपि :-

1942 / खनिज / 2019

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।



उपसंचालक,

(खनिज प्रशासन)

जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, सतना म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 560, 562, 564, 566, 568 एवं 570 दिनांक 22/06/2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन में, जिन उद्योगों को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्पादन सम्मति निलंबित कर दी गई है, उन उद्योगों (खनिज भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी) को स्वीकृत उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद कर दिया गया है। जारी किये गये पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।
3. खनि निरीक्षक, जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 193 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

मेसर्स पियूष एण्ड कम्पनी,
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.


विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 570 दिनांक 22/06/2019

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत, आपको ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर, जिला सतना के खसरा क्रमांक 23, 32, 33 रकबा 2.895 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर, गिट्टी एवं डस्ट हेतु खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश क्रमांक 1920 दिनांक 12/12/2014 से स्वीकृत है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के बिन्दु क्रमांक-4 अनुसार "To grant 45 days time to the following units who have submitted their reply against the show cause notice issued on 26.12.2018 for the ongoing implementation of the dust containment and suppression system or demobilizing the machineries. Later on the due date based on the compliance verification report action related to mining lease & CTO suspension can be initiated"

अतः आप माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में कार्यवाही कर इस कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना को सूचित करें, तब तक की स्थिति में आपकी उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद रखा जाएगा एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेश का पालन न करने की स्थिति में आपको स्वीकृत खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति को निरस्तगी की कार्यवाही की जाएगी।


उपसंचालक,

(खनिज प्रशासन)

जिला सतना, (म.प्र.)


सतना दिनांक

27/06/2019

पृष्ठां. क्रमांक 193 / खनिज / 2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।


उपसंचालक,

(खनिज प्रशासन)

जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, सतना म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 560, 562, 564, 566, 568 एवं 570 दिनांक 22/06/2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन में, जिन उद्योगों को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्पादन सम्मति निलंबित कर दी गई है, उन उद्योगों (खनिज भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी) को स्वीकृत उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद कर दिया गया है। जारी किये गये पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।
3. खनि निरीक्षक, जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।

उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1932 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

मेसर्स नवीन स्टोन क्रेशर,
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 568 दिनांक 22/06/2019

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत, आपको ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर, जिला सतना के खसरा क्रमांक 29 रकबा 0.752 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर, गिट्टी एवं डस्ट हेतु खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश क्रमांक 312 दिनांक 25/01/2018 से स्वीकृत है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के बिन्दु क्रमांक-4 अनुसार "To grant 45 days time to the following units who have submitted their reply against the show cause notice issued on 26.12.2018 for the ongoing implementation of the dust containment and suppression system or demobilizing the machineries. Later on the due date based on the compliance verification report action related to mining lease & CTO suspension can be initiated"

अतः आप माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में कार्यवाही कर इस कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना को सूचित करें, तब तक की स्थिति में आपकी उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद रखा जाएगा एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेश का पालन न करने की स्थिति में आपको स्वीकृत खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति को निरस्तगी की कार्यवाही की जाएगी।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

सतना दिनांक 27/06/2019

पृष्ठां. क्रमांक 1932 / खनिज / 2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, सतना म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 560, 562, 564, 566, 568 एवं 570 दिनांक 22/06/2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन में, जिन उद्योगों को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्पादन सम्मति निलंबित कर दी गई है, उन उद्योगों (खनिज भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी) को स्वीकृत उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद कर दिया गया है। जारी किये गये पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।
3. खनि निरीक्षक, जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म०प्र०)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1933 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

मेसर्स नेहा स्टोन क्रेशर,
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.

- संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 566 दिनांक 22/06/2019

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत, आपको ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर, जिला सतना के खसरा क्रमांक 745/1/क/2/2 रकबा 0.246 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर, रेत, गिट्टी एवं डस्ट हेतु खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश क्रमांक 244 दिनांक 24/01/2019 से स्वीकृत है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के बिन्दु क्रमांक-4 अनुसार "To grant 45 days time to the following units who have submitted their reply against the show cause notice issued on 26.12.2018 for the ongoing implementation of the dust containment and suppression system or demobilizing the machineries. Later on the due date based on the compliance verification report action related to mining lease & CTO suspension can be initiated"

अतः आप माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में कार्यवाही कर इस कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना को सूचित करें, तब तक की स्थिति में आपकी उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद रखा जाएगा एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेश का पालन न करने की स्थिति में आपको स्वीकृत खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति को निरस्तगी की कार्यवाही की जाएगी।


उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

सतना दिनांक 27/06/2019

पृष्ठां. क्रमांक 1933 / खनिज / 2019
प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।


उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, सतना म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 560, 562, 564, 566, 568 एवं 570 दिनांक 22/06/2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन में, जिन उद्योगों को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्पादन सम्मति निलंबित कर दी गई है, उन उद्योगों (खनिज भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी) को स्वीकृत उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद कर दिया गया है। जारी किये गये पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।
3. खनि निरीक्षक, जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।

उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म०प्र०)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1934/खनिज/2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

मेसर्स साई स्टोन क्रेशर,
ग्राम बठिया, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.


विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 564 दिनांक 22/06/2019

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत, आपको ग्राम बठिया, तहसील मैहर, जिला सतना के खसरा क्रमांक 739/1/2, 739/2 रकबा 0.812 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर, गिट्टी एवं डस्ट हेतु खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश क्रमांक 1945 दिनांक 16/07/2018 से स्वीकृत है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के बिन्दु क्रमांक-4 अनुसार "To grant 45 days time to the following units who have submitted their reply against the show cause notice issued on 26.12.2018 for the ongoing implementation of the dust containment and suppression system or demobilizing the machineries. Later on the due date based on the compliance verification report action related to mining lease & CTO suspension can be initiated"

अतः आप माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में कार्यवाही कर इस कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना को सूचित करें, तब तक की स्थिति में आपकी ई-टीपी को बंद रखा जाएगा एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेश का पालन न करने की स्थिति में आपको स्वीकृत खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति को निरस्तगी की कार्यवाही की जाएगी।


उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

सतना दिनांक 27/06/2019

पृष्ठां. क्रमांक 1934/खनिज/2019
प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।


उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, सतना म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 560, 562, 564, 566, 568 एवं 570 दिनांक 22/06/2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन में, जिन उद्योगों को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्पादन सम्मति निलंबित कर दी गई है, उन उद्योगों (खनिज भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी) को स्वीकृत उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद कर दिया गया है। जारी किये गये पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।
3. खनि निरीक्षक, जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1936/खनिज/2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

मेसर्स स्वामी नीलकंठ स्टोन क्रेशर,
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 562 दिनांक 22/06/2019

--0--

संदर्भित विषयांतर्गत, आपको ग्राम बठिया, तहसील मैहर, जिला सतना के खसरा क्रमांक 716, 720 रकबा 1.285 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर, गिट्टी एवं डस्ट हेतु खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश क्रमांक 2784 दिनांक 15/09/2017 से स्वीकृत है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के बिन्दु क्रमांक-4 अनुसार "To grant 45 days time to the following units who have submitted their reply against the show cause notice issued on 26.12.2018 for the ongoing implementation of the dust containment and suppression system or demobilizing the machineries. Later on the due date based on the compliance verification report action related to mining lease & CTO suspension can be initiated"

अतः आप माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में कार्यवाही कर इस कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना को सूचित करें, तब तक की स्थिति में आपकी उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद रखा जाएगा एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेश का पालन न करने की स्थिति में आपको स्वीकृत खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति को निरस्तगी की कार्यवाही की जाएगी।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

सतना दिनांक 27/06/2019

पृष्ठा. क्रमांक 1936/खनिज/2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, सतना म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।


संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 560, 562, 564, 566, 568 एवं 570 दिनांक 22/06/2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन में, जिन उद्योगों को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्पादन सम्मति निलंबित कर दी गई है, उन उद्योगों (खनिज भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी) को स्वीकृत उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद कर दिया गया है। जारी किये गये पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।
3. खनि निरीक्षक, जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

पत्र क्रमांक 1935 / खनिज / 2019

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

गुरुकृपा स्टोन क्रेशर,
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 560 दिनांक 22/06/2019

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत, आपको ग्राम बटिया, तहसील मैहर, जिला सतना के खसरा क्रमांक 712/2 रकबा 0.543 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर, गिट्टी एवं डस्ट हेतु खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश क्रमांक 3512 दिनांक 28/11/2017 से स्वीकृत है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के बिन्दु क्रमांक-4 अनुसार "To grant 45 days time to the following units who have submitted their reply against the show cause notice issued on 26.12.2018 for the ongoing implementation of the dust containment and suppression system or demobilizing the machineries. Later on the due date based on the compliance verification report action related to mining lease & CTO suspension can be initiated"


अतः आप माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में कार्यवाही कर इस कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना को सूचित करें, तब तक की स्थिति में आपकी उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद रखा जाएगा एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेश का पालन न करने की स्थिति में आपको स्वीकृत खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति को निरस्तगी की कार्यवाही की जाएगी।


उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

सतना दिनांक 27/06/2019

पृष्ठां. क्रमांक 1935 / खनिज / 2019
प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।


उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म0प्र0)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, सतना म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 560, 562, 564, 566, 568 एवं 570 दिनांक 22/06/2019।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन में, जिन उद्योगों को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्पादन सम्मति निलंबित कर दी गई है, उन उद्योगों (खनिज भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी) को स्वीकृत उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद कर दिया गया है। जारी किये गये पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 1944 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।
3. खनि निरीक्षक, जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।



उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला सतना (म०प्र०)

E-mail- modgmsat@mp.gov.in

पत्र क्रमांक 1933 / खनिज / 2019

सतना दिनांक 27/06/2019

प्रति,


मेसर्स नेहा स्टोन क्रेशर,
ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर,
जिला सतना, म.प्र.

- संदर्भ:- 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सतना का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 566 दिनांक 22/06/2019

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत, आपको ग्राम रेऊसा, तहसील मैहर, जिला सतना के खसरा क्रमांक 745/1/क/2/2 रकबा 0.246 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर, रेत, गिट्टी एवं डस्ट हेतु खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश क्रमांक 244 दिनांक 24/01/2019 से स्वीकृत है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का आदेश दिनांक 30.05.2019 के बिन्दु क्रमांक-4 अनुसार "To grant 45 days time to the following units who have submitted their reply against the show cause notice issued on 26.12.2018 for the ongoing implementation of the dust containment and suppression system or demobilizing the machineries. Later on the due date based on the compliance verification report action related to mining lease & CTO suspension can be initiated"

अतः आप माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में कार्यवाही कर इस कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना को सूचित करें, तब तक की स्थिति में आपकी उत्खनिपट्टा एवं खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति की ई-टीपी को बंद रखा जाएगा एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेश का पालन न करने की स्थिति में आपको स्वीकृत खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति को निरस्तगी की कार्यवाही की जाएगी।


उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)

सतना दिनांक 27/06/2019

पृष्ठां. क्रमांक 1933 / खनिज / 2019
प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ।


उपसंचालक,
(खनिज प्रशासन)
जिला सतना, (म.प्र.)